

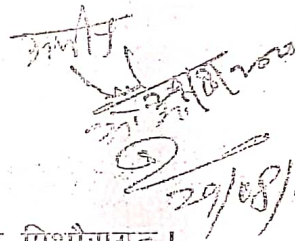
आदेश

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या-172/X-4-15/1(84)/2015 दिनांक 01.04.2015 के द्वारा जनपद पिथौरागढ़ में (आपदाग्रस्त जनपद की श्रेणी में निर्धारित) कनालीछीना से ल्वांटी मोटर मार्ग के निर्माण में आ रही 1.62 हे० वन भूमि के बदले 3.240 हे० सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की शर्त पर वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है।

राजस्व अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-2173/XVIII(II)/2012-18 (120)/2010 दिनांक 17.12.2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार पिथौरागढ़ में (आपदाग्रस्त जनपद की श्रेणी में निर्धारित) कनालीछीना से ल्वांटी मोटर मार्ग निर्माण में आ रही 1.620 हे० वन भूमि के बदले उप जिलाधिकारी, डीडीहाट की आख्या/संस्तुति के आधार पर ग्राम च्वाली पट्टी पीपली तहसील कनालीछीना के गैर ज.वि. खतौनी खाता संख्या-30 श्रेणी-10(4) बंजर नाकाबिल आवाद के खेत नम्बर 6530 मध्ये रकबा 3.240 हे० सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तहसीलदार कनालीछीना स्वीकृत भूमि का हस्तान्तरण/नामान्तरण वन विभाग के नाम करना सुनिश्चित करें।

दिनांक अगस्त 28, 2020


29/08/2020

(डॉ० विजय कुमार जोगदण्डे)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

संख्या-2116/सात-12/2019-20

दिनांक अगस्त 28, 2020

- प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
1. प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़।
 2. प्रभारी अधिकारी वन, जिला कार्यालय पिथौरागढ़।
 3. उप जिलाधिकारी डीडीहाट।
 4. तहसीलदार कनालीछीना को प्रश्नगत भूमि के खसरे की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियमानुसार स्वीकृत भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण सुनिश्चित करें।
 5. अधिशासी अभियन्ता, लो०नि०वि० पिथौरागढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।


28/8
(डॉ० विजय कुमार जोगदण्डे)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

नकल गैर ज०वि० खतौनी ग्राम न्वाली, पट्टी पीपली, तहसील एवं जिला पिथौरागढ़।
श्रेणी-10(4) अन्य कारणों से अकृषिक बंजर भूमि।

खतौनी खाता संख्या	नाम खातेदार/पिता /पति का नाम	फसली वर्ष	खसरा नं०	क्षेत्रफल(हे० में)	मलगु जारी	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा।
1	2	3	4	5	6	7-13
29	बंजर ना० का० आबाद	—	1 67 84 101 136 165 173 175 177 आदि कमशः 2642 2670 2743 2744 2746 2747 2749 आदि कमशः 6515 6516 6529 6530 6531 6533 6534 6535 6537 6538 आदि कमशः 7030 7031 7032 7033 7034	3.192 0.079 0.146 0.141 0.111 0.039 0.754 0.275 0.443 आदि कमशः 0.069 0.251 0.015 0.045 0.053 0.050 0.209 आदि कमशः 0.111 0.115 0.876 4.378 3.003 1.878 0.690 0.441 0.315 0.266 आदि कमशः 4.503 57.403 1.003 8.368 11.629	—	डी०सी०नियमितीकरण सं० 154/ 80-81 दिनांक 17.02.1981 के आदेश खेत नं० 84 रकबा 0.146हे० भूमि जीवानन्द पु० ठगी राम के नाम समझी जाय। आदि खतौनीनुसार वन एवं पर्यावरण अनुभाग 4 उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या 172 / x-4-15 / 1(84) / 2015 दिनांक 01.04.2015 राजस्व अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 2173/ xviii(iii) / 2012-13(120) /2010 दिनांक 17.12. 2012 व जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के पत्र संख्या 2116/ सात-12/ 2019-20 दिनांक अगस्त 28, 2020 के मुताबिक खेत नं० 6530 मध्ये 3.240 हे० भूमि वन विभाग के नाम नामांकन की।
		योग	262	150.661	—	

रा० ज० वि० अधिकारी
क्षेत्र-क्षेत्र-पीपली.1.
तहसील-न्वालीखेत (पिथौरागढ़)

